संख्या-21/2016/205/41-16-70 यो0/2014

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 29 फरवरी, 2016

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद हापुड में गढमुक्तेश्वर ब्रजघाट धार्मिक स्थल पर नेशनल हाईवे-24 के डाउनस्ट्रीट में गंगा नदी के दायें किनारे पर नये स्नानघाट का निर्माण तथा पुराने स्नानघाट का सुदृढीकरण एवं विस्तार की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-2005/6-1-1(518)/2015, दि0 02-02-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद हापुड में गढमुक्तेश्वर ब्रजघाट धार्मिक स्थल पर नेशनल हाईवे-24 के डाउनस्ट्रीट में गंगा नदी के दायें किनारे पर नये स्नानघाट का निर्माण तथा पुराने स्नानघाट का सुदृढीकरण एवं विस्तार की योजना हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ द्वारा आंकलित लागत के परीक्षणोपरान्त रू0 2545.89 लाख की (रूपये पच्चीस करोड पैंतालीस लाख नवासी हजार मात्र) प्रशासकीय एवं रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 82/2015/3240/41-15-70 यो0/2014, दिनांक 30.03.2015 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद हापुड में गढमुक्तेश्वर ब्रजघाट धार्मिक स्थल पर नेशनल हाईवे-24 के डाउनस्ट्रीट में गंगा नदी के दायें किनारे पर नये स्नानघाट का निर्माण तथा पुराने स्नानघाट का सुदृढीकरण एवं विस्तार की योजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत की जा रही परियोजना हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान एवं भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुरनावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर अतिरिक्त व्यय भार न पडे.। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना का कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को_ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
6. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
8. योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रगति के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-05-गढमुक्तेश्वर में ब्रजघाट धार्मिक स्थल का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

<u>संख्या-21/2016/205 (1)/41-2016 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
3- आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
4- जिलाधिकारी, हापुड।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मेरठ।
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, मेरठ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
10- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in